ए.

जगदिश और एक और

वी.

हरियाणा राज्य

(2019 की आपराधिक अपील संख्या 1864)

बी.

अगस्त 06,2009

[अशोक भूषण और नवीन सिन्हा**, जे. जे.]**

दंड संहिता, 1860:

एसएस।302, 149 और 148-दो किशोरों सहित अपराध में 13 अभियुक्तों की संलिप्तता-निचली अदालत द्वारा तीन अभियुक्तों की दोषसिद्धि ने दो अभियुक्तों (अपीलकर्ताओं) की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए एक अभियुक्त को बरी कर दिया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितःपक्षों के बीच पिछली दुश्मनी और एकमात्र चश्मदीद गवाह (पीडब्लू1) और मृतक के बीच संबंधों को देखते हुए झूठे निहितार्थ से इनकार नहीं किया जा सकता है-मामले के तथ्यों में संख्या की संवेदनशीलता और चोटों की प्रकृति असंभव है-उच्च न्यायालय ने गलत तरीके से पीडब्लू-8 को एक चश्मदीद गवाह माना है-प्राथमिकी में चश्मदीद गवाह (पीडब्लू1) ने सभी 13 अभियुक्तों द्वारा सामान्य आरोप लगाए थे, जबकि अपने अदालती बयान में वह प्रत्येक अभियुक्त द्वारा हमले की प्रकृति के संबंध में अधिक विशिष्ट थी-जबकि एकमात्र चश्मदीद गवाह (पीडब्लू1) को अन्य अभियुक्तों को बरी करते समय गंभीर रूप से संदेह किया गया है, रात में 13 व्यक्तियों द्वारा भीड़ के हमले के मामले में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है-इसलिए,

सी.

डी.

ई.

गवाहः

एकाकी प्रत्यक्षदर्शी-साक्ष्य मूल्य-आयोजितःएकल चश्मदीद गवाह के आधार पर दोषसिद्धि स्थायी है, यदि आसपास की परिस्थितियों के साथ विश्वसनीय सबूत ठोस और आश्वस्त करने वाले हैं-ऐसे गवाह के साक्ष्य की गहन जांच की आवश्यकता है।

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

जी.

पकड़नाः**1.** पीडब्लू**-8** और पीडब्लू**-1** पति और पत्नी हैं जिनके पास अपने नाम पर हथियारों का लाइसेंस है।कहा जाता है कि उनके साथ पीडब्लू**-8** की बहन और एक 'पी' थी जो एक हथियार लाइसेंसधारी भी थी।आश्चर्य की बात है कि बाद के दो को अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ दिया गया है और

एच.

जगदीश और एक अन्य बनाम हरियाणा राज्य ए

जाँच नहीं की गई।कहा जाता है कि चारों लोग हमले की जगह से डर के कारण चले गए थे, जैसा कि दावा किया गया है।यदि उनमें से तीन के पास हथियार थे, तो इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि उन्होंने आत्मरक्षा में कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि लाठी, गंडासी और बंदूकों से हमले का आरोप लगाया जाता है।यह स्वीकार करना भी मुश्किल है कि उसका पति पीडब्लू**-8** और 'पी' डर से छिपते रहे, जबकि पीडब्लू**-1** अपनी साली के साथ मृतक की जांच करने के लिए तुरंत घटना स्थल पर लौट आया।एक अतिरिक्त तथ्य जो न केवल असंभव है, बल्कि सामान्य सामाजिक ग्रामीण रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार अत्यधिक अप्राकृतिक है, वह यह है कि पीडब्लू**-1** अपनी साली के साथ एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए एक किलोमीटर दूर सुबह **3** बजे पुलिस स्टेशन गई, जबकि उसके पति और उनके साथ रहने वाले 'पी' घर पर ही रहे।**[**पैरा **5] [26-**ई-जी**]2.** एफ. आई. आर. में पीडब्लू**-1** ने सभी **13** अभियुक्तों द्वारा हमले के सामान्य आरोप लगाए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मृतक को घेर लिया था।लेकिन उसका अदालती बयान प्रत्येक आरोपी द्वारा किए गए हमले की प्रकृति के संबंध में अधिक विशिष्ट था।दोनों अपीलार्थीगण लाठियों से लैस थे जिनसे घाव नहीं हो सकता था।किसी भी स्थिति में, मृतक पर चोटों की संख्या अदालत को संतुष्ट करती है कि यह भीड़ के हमले का परिणाम था, न कि केवल दो अपीलार्थीगण द्वारा हमला।दो अभियुक्तों द्वारा छेदे गए घावों सहित ग्यारह चोटों की संवेदनशीलता को अत्यधिक असंभव माना जाता है।**[**पारस **6,9] [26-**एच; **27-**ए-सी; **28-**सी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

3. उच्च न्यायालय ने पी**.** डब्ल्यू**.-8** को बिना किसी चर्चा के एक चश्मदीद गवाह मानते हुए रिकॉर्ड की त्रुटि की है**,** जबकि घटना के समय उनकी उपस्थिति पर निचली अदालत द्वारा अविश्वास किया गया है।पीडब्लू**-1** के संबंध में**,** ट्रायल कोर्ट ने स्वयं कहा है कि उसके बयान में "पूरी सच्चाई नहीं है और यह अदालत को बैठ कर भूसे से जड़ का पता लगाने के लिए मजबूर करता है।"यह अवलोकन किशोरों को छोड़कर**,** स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा शेष अभियुक्तों को बरी किए जाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।**[**पैरा **7] [27-**डी**]**

एफ.

जी.

4. रात में मृतक को घेरने वाले **13** लोगों द्वारा भीड़ के हमले में**,** पीडब्लू**-1** एकमात्र चश्मदीद गवाह था।भले ही एक प्रकाश जल रहा था**,** कुछ हमलावरों ने निस्संदेह पी**.** डब्ल्यू**.-1** को अपनी पीठ दी होगी जिससे पहचान असंभव नहीं तो असंभव हो गई होगी। गवाह पर दोनों द्वारा गंभीर संदेह किया गया है

एच.

अन्य अभियुक्तों को बरी करने के लिए निचली अदालत और उच्च न्यायालय।यदि आसपास की परिस्थितियों के साथ**-**साथ विश्वसनीय सबूत ठोस और विश्वसनीय प्रकृति के हैं**,** तो एक अकेले चश्मदीद गवाह के आधार पर दोषसिद्धि निस्संदेह टिकाऊ है।इसलिए एक अकेले गवाह के साक्ष्य की गहन जांच की आवश्यकता होगी।लेकिन पीडब्लू**-1** की एकमात्र गवाही पर अपीलार्थीगण के खिलाफ उपलब्ध सामग्री की प्रकृति में**,** जो जहां तक हमले का संबंध है**,** सभी अभियुक्तों के लिए समान है**,** वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसके बयान को एक सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार करना सुरक्षित नहीं है।अगर पीडब्लू**-1** अपनी साली के साथ एक अप्रत्याशित समय पर अकेले पुलिस स्टेशन जा सकती थी**,** तो इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए था कि इसमें छह घंटे की देरी क्यों हुई।हमारे समय की कठोर वास्तविकताओं को देखते हुए**,** यह लगभग असंभव है कि रात के उस समय दो महिलाएँ किसी पुरुष के बिना पुलिस स्टेशन गईं।ये दोनों पक्षों के बीच पहले से मौजूद दुश्मनी की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो जाते हैं**,** जिसके कारण उनके बीच पहले भी पुलिस मामले हुए थे।इसलिए मामले के तथ्यों में गलत निहितार्थ की संभावना से पूरी तरह से

इनकार नहीं किया जा सकता है।इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता में, पीडब्लू-1 और मृतक के बीच संबंध, पिछली दुश्मनी के अस्तित्व, झूठे निहितार्थ से इनकार नहीं किया जा सकता है और एक संदिग्ध एकल गवाह के साक्ष्य पर अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बनाए रखना सुरक्षित नहीं है।[पारस 8,10] [27-ई-एच; 28-ए-बी-डी]

बी.

सी.

डी.

ई.

राजस्थान राज्य बनाम भोला सिंह और अन्य, ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 542; लल्लू मांझी और एक अन्य बनाम राज्य

झारखंड, (2003) 2 एस. सी. सी. 401:[2003] 1 एस. सी. आर. 1-निर्भर।

एफ.

दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर 1953 एस. सी. 364:[1954] एस. सी. आर. 145; सखाराम नांगरे बनाम राज्य

महाराष्ट्र (2012) 9 एससीसी 249:[2012] 7 एससीआर 1186

; खेम करण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य,

(1974) 4 एससीसी 603:[1974] 3 एस. सी. आर. 863-संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

जी.

[1954] एससीआर 145

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[2012] 7 एससीआर 1186

संदर्भित किया गया है

पैरा 2

[1974] 3 एससीआर 863

संदर्भित किया गया है

पैरा **3** ए

एच.

जगदीश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य ए

ए**.** आई**.** आर **1994** एस**.** सी**. 542**

उस पर भरोसा करें

पैरा **10**

[2003] 1 एससीआर **1**

उस पर भरोसा करें

पैरा **11**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2009 की आपराधिक अपील सं. 1864

चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 18.07.2008 से। अपील सं. 474/1999

बी.

एस. आर. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता, राम नरेश यादव, विक्रांत यादव, कृष्ण के. यादव, आदर्श कुमार वर्मा, शिवम शर्मा, वी. सुशांत गुप्ता, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

सी.

दीपक ठुकराल, डॉ. मोनिका गुसैन, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

नवीन सिन्हा**,** जे।

डी.

1. दोनों अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) की धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है।मूल रूप से 13 आरोपी थे।केवल छह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था।उनमें से दो पर किशोर अदालत ने मुकदमा चलाया था।सातों को धारा 319 के तहत तलब किया गया था।निचली अदालत ने तीन लोगों को दोषी ठहराया।उनमें से एक ईश्वर को उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया है।

ई.

2. अपीलार्थीगण की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एस. आर. सिंह ने कहा कि एक बार अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिए जाने के बाद, अकेले दो अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।उच्च न्यायालय ने उस धारा के तहत बनाए गए आरोप के अभाव में धारा 34 की सहायता से दोषी ठहराने में गलती की।किसी भी सामान्य इरादे का कोई सबूत नहीं है, जो हमला करने के लिए दिमाग की एक पूर्व बैठक को प्रदर्शित करता है।पीडब्लू-1 और पीडब्लू-8 चश्मदीद गवाह नहीं थे। घटना के बाद वे पहुंच गए।चश्मदीद गवाह होने का उनका दावा उनके अपने साक्ष्य से अत्यधिक असंभव है।एक वैकल्पिक निवेदन किया गया कि किसी भी स्थिति में यह धारा 304 भाग-II आई. पी. सी. के तहत दोषसिद्धि का मामला था। रिलायंस को दलीप सिंह बनाम पर रखा गया था। पंजाब राज्य, ए. आई. आर 1953 एस. सी. 364::1954 एस. सी. आर. 145, और सखाराम नांगरे बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2012 (9) एस. सी. सी. 249।

एफ.

जी.

3. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू-1 और पीडब्लू-8, घटना के चश्मदीद गवाहों ने कहा था कि अपीलार्थी नं।2 बनाया गया।

एच.

मृतक के सिर पर लाठी से घातक हमला जबकि अपीलार्थी नं.1 मृतक पर भी हमला किया। पार्टियाँ एक ही इलाके में रहती थीं और एक स्ट्रीट लाइट के प्रमाण हैं।खेम करण पर निर्भर और

अन्य बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य और दूसरा, 1974 (4) एस. सी. सी. 603, प्रस्तुत किया गया था।

कि चूंकि पीडब्लू-1 मृतक की बहन थी, इसलिए घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री की प्रकृति में बरी करने के लिए संदेह नहीं किया जा सकता है।4. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर सामग्री का अध्ययन किया है।पार्टियाँ एक ही इलाके में रहती थीं और एक-दूसरे को जानती थीं।उनके बीच दुश्मनी थी क्योंकि दूसरे अपीलार्थी के बेटे ने पीडब्लू-1 की बेटी को

प्रेम पत्र लिखे थे।इससे पहले 20.05.1995 पर दोनों पक्षों के बीच बहस हुई थी जिसके कारण दोनों पक्षों के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज किया गया था।आई. डी. 1 पर एक और घटना हुई जिसके लिए अपीलार्थीगण और मृतक के खिलाफ धारा 107,151, आई. डी. 2 के तहत कार्रवाई की गई। मृतक को जमानत पर रिहा कर दिया गया था और वह पी. डब्ल्यू.-1 के घर से आई. डी. 3 पर रात करीब 9 बजे लौट रहा था जब हमला हुआ।

बी.

सी.

डी.

5. पीडब्लू-8 और पीडब्लू-1 पति और पत्नी हैं जिनके पास अपने नाम पर हथियारों का लाइसेंस है।कहा जाता है कि उनके साथ पीडब्लू-8 की बहन कमला और एक पाली राम भी थे जो एक हथियार लाइसेंसधारी थे।आश्चर्य की बात है कि बाद के दो को अभियोजन पक्ष द्वारा छोड़ दिया गया है और उनसे पूछताछ नहीं की गई है।कहा जाता है कि चारों लोग हमले की जगह से डर के कारण चले गए थे, जैसा कि दावा किया गया है।यदि उनमें से तीन के पास हथियार थे तो इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए कि उन्होंने आत्मरक्षा में कार्रवाई क्यों नहीं की, जबकि लाठी, गांडसी और बंदूकों से हमले का आरोप लगाया जाता है।यह स्वीकार करना भी मुश्किल है कि उनके पति पीडब्लू-8 और पल्ली डर से छिपते रहे, जबकि पीडब्लू-1 अपनी साली के साथ मृतक की जांच करने के लिए तुरंत घटना स्थल पर लौट आई।एक अतिरिक्त तथ्य जो न केवल असंभव है, बल्कि सामान्य सामाजिक ग्रामीण रीति-रिवाजों और रीति-रिवाजों के अनुसार अत्यधिक अप्राकृतिक है, वह यह है कि पीडब्लू-1 अपनी साली के साथ एफ. आई. आर. दर्ज कराने के लिए एक किलोमीटर दूर सुबह 3 बजे पुलिस स्टेशन गई, जबकि उसके पति और उनके साथ रहने वाले पाली राम घर पर ही रहे।

ई.

एफ.

जी.

6. एफ. आई. आर. में पीडब्लू-1 ने सभी 13 अभियुक्तों द्वारा हमले के सामान्य आरोप लगाए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मृतक को घेर लिया था।लेकिन उसका अदालती बयान ए हमले की प्रकृति के संबंध में अधिक विशिष्ट था।

एच.

प्रत्येक अभियुक्त द्वारा किया गया।मृतक व्यक्ति पर कुल 11 चोटें पाई गईं।पहली चोट दाहिने पेरीटो ओसीपीटल क्षेत्र में गहरी हड्डी थी जिसमें मस्तिष्क और घाव में हड्डी के टुकड़ों को नुकसान पहुंचा था।गर्दन पर चोट लगी, दाहिने कंधे पर घाव हुआ, दोनों अंगूठी और छोटी उंगलियों के पृष्ठभाग पर घाव हुआ जिससे फ्रैक्चर हुआ, दाहिने कलाई के जोड़ पर अग्र-भुजा के बीच में, छाती की दीवार के बाईं ओर, इलियाक क्रेस्ट के ऊपर, बाएं स्कैप्युलर क्षेत्र पर तेज हथियार के कारण एक रैखिक चीरे के साथ, बाएं डेल्टॉइड क्षेत्र पर और दाहिने घुटने के बाएं टखने और बाएं अग्र-भुजा पर घाव हुआ।दोनों अपीलार्थीगण लाठियों से लैस थे जिनसे घाव नहीं हो सकता था।किसी भी स्थिति में, मृतक पर चोटों की संख्या हमें संतुष्ट करती है कि यह भीड़ के हमले का परिणाम था, न कि केवल दो अपीलार्थीगण द्वारा हमला।

बी.

सी.

7. उच्च न्यायालय ने पी. डब्ल्यू.-8 को बिना किसी चर्चा के एक चश्मदीद गवाह के रूप में मानते हुए रिकॉर्ड की त्रुटि की है, जबकि घटना के समय उनकी उपस्थिति पर निचली अदालत द्वारा अविश्वास किया गया है।पीडब्लू-1 के संबंध में, ट्रायल कोर्ट ने स्वयं कहा है कि उसके बयान में "पूरी सच्चाई नहीं है और यह अदालत को बैठ कर भूसे से जड़ का पता लगाने के लिए मजबूर करता है।"यह अवलोकन किशोरों को छोड़कर, स्वयं विचारण न्यायालय द्वारा शेष अभियुक्तों को बरी किए जाने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

डी.

ई.

8. हमारे दिमाग में जो सवाल उठता है वह यह है कि रात में मृतक को घेरने वाले 13 लोगों द्वारा भीड़ के हमले में, पीडब्लू-1 एकमात्र चश्मदीद गवाह था।भले ही कोई रोशनी जल रही हो, उनमें से कुछ की पीठ पी. डब्ल्यू.-1 पर लगी होगी, जिससे पहचान असंभव नहीं तो असंभव हो गई होगी।निचली अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने गवाह को अन्य अभियुक्तों को बरी करने के लिए गंभीर रूप से संदेह किया है।क्या एकमात्र संदिग्ध चश्मदीद गवाह का सबूत दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकता है?यहाँ हमारे पास सावधानी का एक शब्द हो सकता है।एकल चश्मदीद गवाह के आधार पर दोषसिद्धि निस्संदेह टिकाऊ है यदि आसपास की परिस्थितियों के साथ-साथ विश्वसनीय सबूत ठोस और आश्वस्त करने वाले हैं।इसलिए एक अकेले गवाह के साक्ष्य की गहन जांच की आवश्यकता होगी।लेकिन पीडब्लू-1 की एकमात्र गवाही पर अपीलार्थीगण के खिलाफ उपलब्ध सामग्री की प्रकृति में, जो कि सभी अभियुक्तों के लिए समान है, जहां तक हमले का संबंध है, हम वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसके बयान को एक सुसमाचार सत्य के रूप में स्वीकार करना सुरक्षित नहीं मानते हैं। अगर पीडब्लू-1 अपनी साली के साथ अकेले पुलिस स्टेशन जा सकती थी, तो एक स्पष्टीकरण होना चाहिए था।

एफ.

जी.

एच.

छह घंटे की देरी क्यों हुई?हमारे समय की कठोर वास्तविकताओं को देखते हुए हमें यह लगभग असंभव लगता है कि रात के उस समय दो महिलाएँ किसी पुरुष के बिना पुलिस स्टेशन गईं।ये दोनों पक्षों के बीच पहले से मौजूद दुश्मनी की पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिसके कारण उनके बीच पहले भी पुलिस मामले हुए थे।इसलिए मामले के तथ्यों में गलत निहितार्थ की संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है।

बी.

9. उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि केवल अपीलार्थीगण ही मृतक के हमलावर थे।ईश्वर के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने लाठी से हमला किया था जो घाव करने में सक्षम थी।हमें यह मानना मुश्किल लगता है कि अपीलार्थीगण ईश्वर से अलग स्थिति में थे।दो अभियुक्तों द्वारा छेदे गए घावों सहित ग्यारह चोटों की संवेदनशीलता को अत्यधिक असंभव माना जाता है।

सी.

10. इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की संपूर्णता में, पीडब्लू-1 और मृतक के बीच संबंध, पिछली दुश्मनी का अस्तित्व, हम इसे सुरक्षित नहीं मानते हैं और एक संदिग्ध एकल गवाह के साक्ष्य पर अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए झूठे निहितार्थ से इनकार नहीं कर सकते हैं, जैसा कि राजस्थान राज्य बनाम में देखा गया है। भोला सिंह और ए. एन. आर., ए. आई. आर. 1994 एस. सी. 542, (सी. आर. एल.) 1980 की अपील सं. 65 का 25.08.1993 पर निर्णय लिया गया):

डी.

“4. उपर्युक्त तथ्यों से यह देखा जा सकता है कि मामला पूरी तरह से पी. डब्ल्यू. 1 के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित है।उच्च न्यायालय ने पी. डब्ल्यू. 1 के साक्ष्य में कई खामियों की ओर इशारा किया है।यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि यदि मामला पूरी तरह से चश्मदीद गवाह के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित है, तो ऐसी गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय होनी चाहिए।इस मामले में, घटना अंधेरे में हुई थी।”

ई.

एफ.

11. लल्लू मांझी और एक अन्य बनाम झारखंड राज्य में, (2003)

2 एस. सी. सी. 401, यह देखा गया कि यदि दस व्यक्तियों को मृतक के शरीर पर अपने-अपने हथियारों से वार करने के लिए कहा गया था, और यदि उनमें से प्रत्येक ने हमला किया होता तो मृतक के व्यक्ति पर कम से कम दस चोटें होतीं।वर्तमान मामले में, जैसा कि देखा गया है कि मृतक के व्यक्ति पर 11 चोटें हैं।संदेह को बरी करने का लाभ देते हुए, यह निम्नानुसार देखा गयाः“13.....एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी, जो मृतक के साथ अपने संबंधों के कारण एक इच्छुक गवाह भी है और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण तरीके से निपटाए जाने के कारण घटना का संस्करण अत्यधिक अतिरंजित है और पूरी तरह से पुष्टि नहीं करता है ए

जी.

एच.

29

जगदीश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य [नवीन सिन्हा, जे.]

चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा।न्यायालय में दी गई घटना का संस्करण काफी हद तक पहले के संस्करण से अलग है जैसा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में निहित और उपलब्ध है।इसलिए हम सभी अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि दर्ज करने के उद्देश्य से मन्नू (पीडब्लू 9) की एकमात्र गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते।”

बी.

12. इसलिए हम उच्च न्यायालय के आदेश को अस्थिर पाते हैं और तदनुसार इसे रद्द कर देते हैं।अपीलार्थीगण बरी हो जाते हैं।यदि किसी अन्य मामले में उनकी आवश्यकता नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।जमानत पर रिहा होने की स्थिति में, उनके जमानत बांड जारी किए जाएंगे।

सी.

13. अपील की अनुमति है।

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.